संख्या : 53/2016/602/छप्पन-2016-81/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 14 जुलाई, 2016

विषयः जनपद मेरठ, मुरादाबाद एवं फैजाबाद स्थित राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के विकास हेतु आवंटित रू0 1,82,56,51,896.00 (रू0 एक अरब बयासी करोड़ छप्पन लाख इक्यावन हजार आठ सौ छियान्नवे मात्र) को सिविल एन्क्लेव (इलाहाबाद, आगरा एवं कानपुर नगर) के निर्माण हेतु क्रय की जा रही आवश्यक भूमि के लिये धनराशि को ट्रान्सफर किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24-25/ए0एफ-108-12/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मेरठ, मुरादाबाद एवं फैजाबाद के डिपाजिट खाते से जमा धनराशि को जनपद इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए जिलाधिकारी, इलाहाबाद के डिपाजिट खाते में रूपये रू0 1,82,56,51,896.00 (रू0 एक अरब बयासी करोड़ छप्पन लाख इक्यावन हजार आठ सौ छियान्नवे मात्र) ट्रान्सफर किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि जनपद इलाहाबाद में भूमि क्रय हेतु कुल धनराशि रू0 2,89,21,65,906.00 की आवश्यकता है। इस धनराशि के सापेक्ष रू0 25,89,00,000.00 की स्वीकृति दी जा चुकी है, और रू0 2,63,33,65,906.00 की स्वीकृति दिया जाना अवशेष है। इस प्रकार जनपद मेरठ, फैजाबाद व मुरादाबाद की कुल धनराशि रू0 1,82,56,51,896.00 को इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु दिये जाने पर भी प्रश्नगत धनराशि से कुल आवश्यकता Meet-out नहीं हो पायेगी।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उल्लेखनीय है कि जनपद आगरा और कानपुर नगर में भी सिविल एन्क्लेव का निर्माण उच्च प्राथमिकता का विषय है और इन जनपदों में भूमि क्रय की कार्यवाही तेजी से चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि सिविल एन्क्लेव के लिए भूमि क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि उनके पास समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण इन जनपदों में भूमि क्रय की कार्यवाही की गति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है, अतएव शीघ्र धनराशि उपलब्ध करायी जाय। उक्त स्थिति पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद मेरठ, मुरादाबाद एवं फैजाबाद में भूमि क्रय हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों के डिपॉजिट खातों में अप्रयुक्त पड़ी धनराशि रू0 1,82,56,51,896.00 को सिर्फ इलाहाबाद के बजाय तीनों जनपदों (इलाहाबाद, आगरा, कानपुर नगर) में भूमि क्रय हेतु निम्नवत् जिलाधिकारियों के खातों में ट्रान्सफर किया जाना प्रायोजनाओं के लिए वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होगा :-

क्रमांक	राजकीय हवाई पट्टी	स्वीकृत धनराशि	सिविल एन्क्लेव	जिलाधिकारी को ट्रान्सफर हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	मुरादाबाद	92,31,69,896.00	इलाहाबाद	92,31,69,896.00
2	फैजाबाद	60,33,00,000.00	आगरा	60,33,00,000.00
3	मेरठ	29,91,82,000.00	कानपुर नगर	29,91,82,000.00
	योग =	1,82,56,51,896.00	कुल योग =	1,82,56,51,896.00

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिलाधिकारी, मुरादाबाद, फैजाबाद एवं मेरठ के डिपाजिट खाते में जमा कुल धनराशि रू0 1,82,56,51,896.00 (रू0 एक अरब बयासी करोड़ छप्पन लाख इक्यावन हजार आठ सौ छियानवे मात्र) को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि जिले के जिलाधिकारी को ट्रान्सफर किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

--- 3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	राजकीय हवाई पट्टी	स्वीकृत धनराशि	सिविल एन्क्लेव	जिलाधिकारी को ट्रान्सफर की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मुरादाबाद	92,31,69,896.00	इलाहाबाद	92,31,69,896.00
2	फैजाबाद	60,33,00,000.00	आगरा	60,33,00,000.00
3	मेरठ	29,91,82,000.00	कानपुर नगर	29,91,82,000.00
	योग =	1,82,56,51,896.00	कुल योग =	1,82,56,51,896.00

5- इस आलोक में उल्लेखनीय है कि :-

(1) इलाहाबाद में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या- 21/2016/817/छप्पन-2015-81/2013, दिनांक 25.02.2016 के द्वारा रू0 2,89,21,65,906.00 (रू0 दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैसठ हजार नौ सौ छः मात्र) का प्रशासकीय अनुमोदन जारी किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष रू0 25,89,00,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त प्रस्तर-4 में अंकित तालिका के कालम-5 के अनुसार इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए रू0 92,31,69,896.00 की धनराशि ट्रान्सफर की गयी है। इस प्रकार सिविल एन्क्लेव इलाहाबाद के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए अब तक कुल रू0 1,18,20,69,896.00 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) आगरा में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-42/2016/817/छप्पन-2015-81/2013, दिनांक 20.05.2016 के द्वारा रूपये 1,53,67,03,990.00 (रू0 एक अरब तिरपन करोड़ सरसठ लाख तीन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) का प्रशासकीय अनुमोदन जारी किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष 28,40,00,000.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

--- 4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त प्रस्तर-4 में अंकित तालिका के कालम-5 के अनुसार आगरा में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए रू0 60,33,00,000.00 की धनराशि ट्रान्सफर की गयी है। इस प्रकार सिविल एन्क्लेव आगरा के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए अब तक कुल धनराशि रू0 88,73,00,000.00 स्वीकृत की जा चुकी है।

(3) कानपुर नगर में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-41/2016/817/छप्पन-2015-81/2013, दिनांक 18.05.2016 के द्वारा रूपये 82,23,71,848.00 (रू0 बयासी करोड़ तेइस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ अडतालिस मात्र) का प्रशासकीय अनुमोदन जारी किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष रू0 21,00,00,000.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त प्रस्तर-4 में अंकित तालिका के कालम-5 के अनुसार कानपुर नगर में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए रू0 29,91,00,000.00 की धनराशि ट्रान्सफर की गयी है। इस प्रकार सिविल एन्क्लेव आगरा के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए अब तक कुल धनराशि रू0 50,91,82,000.00 स्वीकृत की जा चुकी है।

6- इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुरादाबाद, फैजाबाद एवं मेरठ से अनुरोध है कि राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के विकास हेतु उनके डिपाजिट खाते में जमा धनराशि क्रमशः जिलाधिकारी इलाहाबाद, आगरा एवं कानपुर नगर को कालम-5 में अंकित धनराशि शीघ्र ट्रान्सफर कर दी जाय।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-538/दस-2016, दिनांक 08 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्याः 602(1)/छप्पन-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

--- 5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, फैजाबाद मण्डल, मेरठ मण्डल, इलाहाबाद मण्डल, आगरा मण्डल एवं कानपुर मण्डल।

(4) जिलाधिकारी, मुरादाबाद, फैजाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा एवं कानपुर नगर।

(5) मुख्य कोषाधिकारी/कोशाधिकारी, मुरादाबाद, फैजाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा एवं कानपुर नगर।

(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)/सम्बन्धित पत्रावलियों में एक-एक प्रति।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।